न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर
पीठासीन अधकारी –डॉ0सूरज सिंह नेगी

निगरानी संख्या 70/2022

तारीख रजू 01.12.2022

रमेशचन्द्र पुत्र श्री प्रभूदयाल जाति महाजन, निवासी ग्राम बहरावण्डा खुर्द तहसील खण्डार

..........निगरानीकर्त्ता

बनाम

1. मांगीलाल दत्तक पुत्र श्री रामनिवास जाति ब्राहमण हाल निवासी बहरावण्डाखुर्द तहसील खण्डार
2. सरपंच ग्राम पंचायत बहरावण्डा खुर्द पंचायत समिति खण्डार जिला सवाई माधोपुर।

..........अप्रार्थीगण

उपस्थित – वकील निगरानीकर्त्ता श्री श्रीदास सिंह एडवोकेट
वकील अप्रार्थी संख्या 1 श्री बी.डी.माली एडवोकेट
वकील अप्रार्थी संख्या 2 श्री सी.एल. लोदवाल एडवोकेट

निर्णय

दिनांक 26/7/23

निगरानीकर्ता ने यह निगरानी ग्राम पंचायत बहरावण्डा खुर्द द्वारा पारित आदेश दिनांक 11.10.1964 के विरूद्व प्रस्तुत की गयी जिसमें संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि गैर निगरानीगुजार के पिता रामनिवास पुत्र अमर लाल जाति ब्राहमण निवासी दौलतपुरा तहसील खण्डार द्वारा जो पटटा ग्राम पंचायत बहरावण्डा खुर्द से दिनांक 11.10.1964 को प्राप्त करना बताया है, जो कि पूरी तरहं कूटरचित है। पटटे में ना तो पटटा संख्या अंकित है, ना ही मिसल संख्या अंकित है एवं उक्त पटटे में जगह–जगह कटिंग व ओवर राईटिंग तथा अलग अलग व्यक्तियों द्वारा अलग–अलग कलम से लिखावट कर फर्जी पट्टा बनाया गया है, जिसकी कोई असलियत नहीं है, इसलिए उक्त पटटा खारिज होने योग्य है। यह है कि ग्राम पंचायत बहरावण्डा खुर्द द्वारा रामनिवास पुत्र अमरलाल को जारी किये गये पटटे पर सरपंच छीतरमल के हस्ताक्षर फर्जी एवं बनावटी है तथा सरपंच की मोहर भी फर्जी है सन् 1964 की नहीं है नवीन बनाई हुई है। विपक्षी संख्या एक का पिता ग्राम बहरावण्डा खुर्द का मूल निवासी न होकर ग्राम दौलतपुरा का मूल निवासी था। रामनिवास के पास सन् 1964 में 15 बीघा कृषि भूमि व पक्का मकान था जो ग्राम दौलतपुरा में स्थित था। आवासहीन नहीं था। दूसरी पंचायत में निःशुल्क आवंटन का पात्र नहीं था। इसके विपरीत सही तथ्य यह है कि उक्त भूखण्ड कल्याण पुत्र दौला जाट, निवासी बहरावण्डा खुर्द का था, जिससे निगरानी गुजार ने जरिए इकरार नामा बेचान खरीद किया था तथा उसमें दो पुख्ता कमरे व पीछे चारदीवारी निर्माण कर रखे है तथा जिस पर मुझ निगरानीगुजार का 34 वर्षों से कब्जा है। इसलिए रामनिवास के नाम निःशुल्क पटटा ग्राम पंचायत बहरावण्डा खुर्द द्वारा जारी नहीं

उक्त पटटे में दौलतपुरा काटकर बहरावण्डा खुर्द किया गया है तथा उक्त पटटे में भूखण्ड का जो साईज 66गज X 45गज अंकित किया है, वह हिन्दी में है तथा दिशाओं की क्रम संख्या 1,2,3,4 जो अंकित की गई है, वह अंग्रेजी में अंकित की गई है तथा पटटे में ऊपरी हिस्सा अलग कलम से अंकित किया गया है तथा नीचे का हिस्सा अलग कलम से अंकित किया है एवं जो कटिंग व ओवर राईटिंग पटटे की लिखावट में हो रही है, उसमें किसी भी सक्षम अधिकारी के इनीसियल हस्ताक्षर नहीं है तथा उक्त पटटे पर ग्राम पंचायत सचिव के भी हस्ताक्षर नहीं है, इसलिए भी उक्त पटटा खारिज होने योग्य है। भूखण्ड आवंटन के लिए आवेदन शुल्क की रसीद या पटटा शुल्क की कोई रसीद नहीं है 2970 वर्गगज का भूखण्ड किसी व्यक्ति को निःशुल्क आवंटन किया ही नहीं जा सकता। यह कि उक्त भूखण्ड में से रामनिवास द्वारा कुछ भूमि सामान्य चिकित्सालय बहरावण्डा खुर्द व कुछ भूमि आंगनबाडी केन्द्र बहरावण्डा खुर्द को स्थानान्तरित कर देना बताया गया है, जबकि पटटा मं अंकित शर्त नं. 3 के अनुसार पटटे में दी गई भूमि को किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार से विक्रय या स्थानान्तरण करने का अधिकार नहीं है, पटटाधारक आवासीय उपयोग ही कर सकता है। यदि पटटाधारक उक्त शर्त का उल्लंघन करता है तो शर्त संख्या –7 के अनुसार स्वतः ही निरस्त माना जावेगा, इसलिये उक्त पटटा खारिज होने योग्य है। यह कि ग्राम पंचायत बहरावण्डा खुर्द द्वारा जो पटटा दिनांक 11.10.1964 को जारी किया जाना बताया है, उस पटटे को देखने से तथा उस पर अंकित इबारत का मुलाहिजा करने से स्पष्ट प्रतीत हो रहा है कि उक्त पटटा 58 साल पुराना नहीं है अपितु कूटरचित है। इसलिए उक्त पटटा फर्जी व बनावटी होने के कारण निरस्त होने योग्य है। यह कि पटटाधारक विपक्षी संख्या एक के पिता रामनिवास की मृत्यु के 26 वर्ष बाद उक्त पटटे को न्यायालय में पेश किया है। यह कि उक्त विवादित पटटे में अंकित भूमि जो वर्तमान राजस्व रिकार्ड में आबादी भूमि नहीं थी जिस पर ग्राम पंचायत बहरावण्डा खुर्द की पटटा जारी करने का कोई कानूनी अधिकार प्राप्त नहीं था, इससे स्पष्ट होता है कि उक्त पटटा फर्जी व बनावटी है एवं खारिज होने योग्य है। यह कि सन् 1964 में पटटा जारी करने की कोई पुस्तिका किसी भी कोई भी ग्राम पंचायत में नहीं थी तथा सरपंच अकेला नहीं कौरम के बहुमत से निर्णय के बाद ही आवंटन एवं पटटा जारी किया जा सकता है ऐसा कोई फैसला नहीं है। यह कि विपक्षी सं0 1 के पिता ने ग्राम पंचायत बहरावण्डा खुर्द से जो पटटा प्राप्त करना बताया है वह नियम विरूद्ध है क्योंकि ग्राम पंचायत नियम 158(2) के तहत निःशुल्क पटटे दिये जाने के नियम बना रखे है, जिन नियमों के तहत ही ग्राम पंचायत को पटटे जारी करने का अधिकार है। जबकि 1964 में रामनिवास के पास 15 बीघा सिंचित खातेदारी भूमि व पक्का मकान वाके ग्राम दौलतपुरा में स्थित था, इसलिए रामनिवास निःशुल्क पटटा प्राप्त करने का पात्र नहीं था फर्जी फर्दकारी करके उक्त पटटा बनाया है जो निरस्त होने योग्य है। अतः निगरानीगुजार द्वारा प्रस्तुत की गई निगरानी स्वीकार कर विवादित पट्टा दिनांक 11.10.1964 को निरस्त करने हेतु निवेदन किया गया है।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर अप्रार्थीगण को तलवी जरिये नोटिस की गई। अधीनस्थ न्यायालय की मूल पत्रावली अभिलेख कक्ष में नहीं होने के संबंध में ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत बहरावण्डा खुर्द द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया। प्रकरण में उक्त विवादित पटटे की न्यायालय सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, खण्डार से प्राप्त प्रमाणित प्रतिलिपि के आधार पर प्रकरण में वकील उभय पक्ष की बहस/लिखित बहस सुनी गई।

अति. जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

वकील निगरानीकर्ता ने निगरानी में वर्णित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित कर दौराने बहस निम्नानुसार लिखित बहस प्रस्तुत की है :–

1. यह कि पटटा धारक (रामनिवास पुत्र अमरलाल) एससी/एसटी/ओबीसी/विकलांग/बी.पी. एल. या आवासहीन नहीं अपितु धनी परिवार से रहा है हाईवे पर 15 बीघा सिंचित कृषि भूमि तथा गांव में मकान भी है। ग्राम दौलतपुरा (ग्रा.पं. दौलतपुरा) निवासी फिर अन्य ग्राम बहरावण्डा खुर्द (ग्राम पंचायत बहरावण्डा खुर्द) में निःशुल्क भूखण्ड आवंटन का पात्र ही नहीं रहा।
2. यह है कि ग्राम पंचायत द्वारा जिस भूमि का आवंटन दर्शाया गया है यह भूमि आबादी न होकर गैर मुमकिन मरघट दर्ज थी जिसे ग्राम पंचायत को आवंटित करने का अधिकार ही नहीं।
3. ग्राम पंचायत अधिनियम अनुसार आवासहीन को ही अधिकतम 150 वर्गगज तक निःशुल्क आवंटन किया जा सकता है जबकि इस फर्जी पटटे में 2970 वर्गगज (एक बीघा) का निःशुल्क आवंटन दर्शाया गया है।
4. यह है कि भूखण्ड आवंटन के लिये आवेदन शुल्क या पटटा शुल्क की कोई रसीद नहीं है। आपत्तियॉ मांगने की सूचना, मौका रिपोर्ट, डिस्पेच नम्बर कुछ भी नहीं है। पटटे का पंजीकरण भी नहीं है।
5. यह कि भूखण्ड आवंटन कोरम में बहुमत के फैसले से ही किया जा सकता है, अकेले सरपंच आवंटन के लिये अधिकृत नहीं है जबकि ना कोई कोरम का फैसला ना ही सचिव के हस्ताक्षर है। केवल सरपंच के हस्ताक्षर बनाये गये है जो कि पूरी तरह फर्जी है। तत्कालीन सरपंच स्व. छीतरमल के ग्राम पंचायत द्वारा अन्य निर्णयों व यहॉ तक कि मान्य किये गये नामान्तकरणों पर हस्ताक्षरों से मिलान किया जाय तो पटटे पर सरपंच के हस्ताक्षर पूरी तरह बनावटी/फर्जी प्रतीत होते है। 1964 तो क्या 1978 तक ग्राम पंचायत में कोई पटटा बुक ही प्रचलन में नहीं थी।
6. यह है कि पटटा पर जगह जगह कटिंग, ओवर राईटिंग, कहीं हिन्दी में तो कहीं अंग्रेजी लिपि है जो दर्शाता है कि पटटा पूरी तरह फर्जी है।
7. यह कि पटटा पर अंकित शर्त संख्या 3 व 5 के अनुसार आवंटित भूखण्ड का आवासीय उपयोग ही होगा किसी अन्य को हस्तांरण नहीं होगी, जबकि अप्रार्थी द्वारा 2970 में से 2845 वर्गगज भूमि दान देना बताया जा रहा है, किसको कितनी दान की कोई दानपत्र नहीं है। आंगनबाडी या ग्राम सेंवा सहकारी समिति गोदाम को तो 1983 व 2021 में पटटे जारी किये गये हैं।
8. यह कि पटटा पर अंकित शर्त 7 के अनुसार उल्लंघन पर पटटा स्वतः ही निरस्त माना गया है।
9. यह कि ग्राम पंचायत में कोई रिकार्ड पटटा सम्बन्धी नहीं है।
10. यह कि परिसर पर विगत 38 वर्षों से प्रार्थी ही काबिज है। समय–समय पर मरम्मत करवाई, किरायेदार रहे अप्रार्थी द्वारा कभी कोई शिकायत प्रार्थी के विरूद्ध नहीं की है।

अति॰ जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

11. यह कि राजस्व विभाग के अधिकारीगण, पुलिस विभाग सभी ने जांच में यह परिसर मुझ प्रार्थी का माना है।

माननीय न्यायालय खण्डार द्वारा भी सम्बन्धित परिसर पर प्रार्थी का ही आधिपत्य एवं स्वामित्व मानते हुये दिनांक 12.12.2020 को डिक्री जारी की है। जिसके बाद प्रार्थी द्वारा परिसर की चारदीवारी मरम्मत, टीनशेड व रंगाई पुताई कार्य करवाकर किराये पर दिया हुआ है।

अतः माननीय न्यायालय से अनुरोध है कि पूरी तरह फर्जी (कूट रचित) पटटा निरस्त फरमाने की कृपा करें।

वकील अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा बहस में वकील निगरानीकर्त्ता के द्वारा प्रस्तुत तथ्यों का खंडन करते हुए लिखित बहस निम्न प्रकार से पेश की है:–

1. यह कि निगरानीकर्ता रमेश चन्द महाजन ने इस विवादित भू–भाग को सन् 1968 में कल्याण मल पुत्र दोला जाट निवासी बहरावण्डा खुर्द से 20,000/– रू. में खरीदना कहा है। जिसका कोई रजिस्टर्ड विक्रय पत्र निगरानीकर्ता की तरफ से पेश नहीं किया गया है और यह विवादित भू भाग कथित विक्रेता कल्याण पुत्र दोला जाट के स्वामित्व का होने का भी कोई दस्तावेजी सबूत पेश नहीं किया गया है। कानूनन 100/– रूपये से अधिक की अचल सम्पत्ति रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के बिना क्रय नहीं की जा सकती है जैसा कि न्यायिक दृष्टान्त DNJ 2003 पार्ट (3) राज0 पेज 1179 में कहा गया है और यदि कोई व्यक्ति 100/– रूपये से अधिक की सम्पत्ति रजिस्टर्ड विक्रयपत्र के बिना खरीदता है तो उस सम्पत्ति में क्रेता को कोई हित तथा स्वामित्व प्राप्त नहीं होता है जैसा कि न्यायिक दृष्टान्त RRT 2004 I पेज 409 में कहा गया है। निगरानीकर्ता ने इस भू भाग को 20,000/– रूपये में अनरजिस्टर्ड एग्रीमेन्ट टू सेल दिनांक 14.08.1998 के जरिये क्रय करना कहा है जिससे निगरानीकर्ता को कोई राईट क्रियेट नहीं होते है।
2. इसके बाद निगरानीकर्ता ने बृजमोहन जाट के लड़को भरत, रामबाबू व मुकेश को उक्त विवादित भू–भाग जानवर बांधने के लिए देना अंकित करते हुये उनके द्वारा भू–भाग पर कब्जा कर लेने के कारण उन्हें बेदखल कराने व निषेधाज्ञा से पाबंद कराने का अनुतोष चाहते हुवे उनके खिलाफ खण्डार स्थित सिविल न्यायालय में 20.08.2020 को रमेश चन्द बनाम भरत बगैरा के नाम से नागाराम मीणा वकील के मार्फत दावा पेश करवाया। इस दावा में पहली तारीख पेशी पर ही वादी ने प्रतिवादीगण भरत, रामबाबू व मुकेश से मिली भगत कर वकील बदलते हुए दिनांक 02.09.2020 को राजीनामा कर, चुपचाप गोपनीय तरीके से लोक अदालत में अपना दावा डिक्री करवाया लिया जिसकी विपक्षी सं0 1 को कोई जानकारी नहीं होने दी। उस दावा में वादी (निगरानीकर्ता) रमेश चंद ने विपक्षी सं0 1 को पार्टी (प्रतिवादी) भी नहीं बनाया।
3. फिर प्रतिवादीगण से कोलूजन कर गोपनीय तरीके से प्राप्त की गयी उस डिक्री की आड़ में जब निगरानीकर्ता रमेश चन्द ने मुझ विपक्षी सं0 1 के मकान पर (जो मुझ विपक्षी सं0 1 के दत्तक पिता रामनिवास वल्द अमरलाल ब्राहमण की छोडी हुई पटटे शुदा भूमि है। जिसका पटटा ग्राम पंचायत बहरावण्डा खुर्द द्वारा 11.10.1964 को नियमानुसार विपक्षी सं0 1 के

अति. जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

दत्तक पिता रामनिवास के हक में जारी किया गया है। जिस पर बने हुवे मकान पर रामनिवास के दत्तक पुत्र की हैसियत से दत्तक पिता रामनिवास की 10.04.1996 को मृत्यु हो जाने के बाद से मुझ विपक्षी सं0 1 का कब्जा है।) जबरन – अवैधानिक तरीके से कब्जा करने का प्रयास किया तब विपक्षी सं0 1 द्वारा पूछने पर निगरानीकर्ता रमेशचन्द ने खुद के नाम एग्रीमेन्ट होना तथा खण्डार कोर्ट से प्राप्त डिक्री होना बताया। तब विपक्षी सं0 1 को पहली बार उक्त मिली भगत का पता चला तब विपक्षी सं0 1 ने खण्डार न्यायालय से नकले आदि प्राप्त कर निगरानीकर्ता द्वारा कोलूजन कर राजीनामा के आधार पर प्राप्त की गयी उस डिक्री को निरस्त करवाने का दावा व टी0आई0 का प्रार्थना पत्र खण्डार न्यायालय में पेश किया। जिसमें खण्डार स्थित न्यायालय द्वारा टी0आई0 का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्राईमा फेसी उस डिक्री को कोलूजन से प्राप्त डिक्री मानकर ता फैसला दावा, डिग्री की कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया है।

4. निगरानी लिमिटेड ग्राउण्ड्स पर ही की जा सकती है। इस विवादित भू भाग का पटटा विपक्षी सं0 1 के दत्तक पिता स्व0 रामनिवास के नाम जारी करने में कोई 'प्रोसिजर्ल इररेगुलिटी' नहीं है। इसलिए यह निगरानी खारिज होने योग्य है।
5. हमारा पटटा सन् 1964 में जारी किया गया है। जिसकी निगरानी अब 57–58 वर्ष की असाधारण देरी से सन् 2022 में की गयी है जो किभी दृष्टी से शमनीय नहीं है। जैसा कि न्यायिक दृष्टान्त – RLR 1999(2) Raj. पेज 23 में कहा गया है।
6. यह कि किसी विवाद के संबंध में जब सिविल कोर्ट में दावा विचाराधीन है तो ग्राम पंचायत को या इस न्यायालय को टीनेन्सी एक्ट के तहत इन्टरफेयर करने का तथा स्वामित्व तय करने का कोई अधिकार नहीं है। जैसा कि न्यायिक दृष्टान्त RRD 1996 पेज 112 में कहा गया है।
7. यह कि EVIDENCE Act. 1872 की धारा 90 के अनुसार 30 वर्ष से अधिक पुराने डाकूमेंट पर उस डाकूमेंट के ड्यूली एग्जीक्यूटेड एण्ड अटेस्टेड होने की उपधारणा की गयी है अर्थात् 30 वर्ष से अधिक पुराने डाकूमेन्ट को गलत तथा फर्जी नहीं माना जा सकता है।
8. निगरानीकर्ता स्वयं दो बार ग्राम पंचायत बहरावण्डा खुर्द में सरपंच रह चुका है इसलिये उसने विपक्षी सं0 1 के अधिकारों व स्वामित्व के इस भू–भाग को हड़प करने की गरज से पंचायत का पुराना रिकार्ड गायब करवा दिया। जो ग्राम पंचायत बहरावण्डा खुर्द से सूचना का अधिकार के तहत प्राप्त सूचना दिनांक 22.02.2023 से यह बात पूरी तरह से साबित है।
9. यह कि निगरानीकर्ता चालाक, प्रवृति का व्यक्ति है। जो अपने राजनैतिक प्रभाव से तथा अफसरों को रूपया देकर काम करवाने में विश्वास रखता है और भोले भोले लोगों की सम्पत्ति हड़पने के प्रयास में रहता है। अपने इसी उददेश्य की पूर्ति के लिए निगरानीकर्ता ने श्रीमान के समक्ष यह निगरानी पेश की है जो खारिज फरमायी जावे।

उभय पक्ष की बहस सुनने व पत्रावली में सलंग्न दस्तावेजात का ध्यान पूर्वक अध्ययन एवं मनन करने के पश्चात मै इस निष्कर्ष पर पहुॅचा हूॅ कि निगरानीकर्त्ता द्वारा प्रस्तुत निगरानी में अप्रार्थी सं0 1 द्वारा कूटरचित तरीके से ग्राम पंचायत बहरावण्डाखुर्द के आदेश दिनांक 11.10.1964 से 2970 वर्ग गज का निःशुल्क पटटा प्राप्त करने के संबंध में तथ्य प्रस्तुत किये गये है परंतु इस

अति॰ जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

संबंध में निगरानीकर्ता के ग्राम पंचायत बहरावण्डाखुर्द के उक्त आदेश दिनांक 11.10.1964 की पटटा पत्रावली की नकल चाहे जाने पर ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत बहरावण्डा खुर्द द्वारा उनके पत्रांक 69 दिनांक 02.11.2022 से अवगत कराया है कि ग्राम पंचायत द्वारा रामनिवास पुत्र अमरलाल को 11.10.1964 करे पटटा दिये जाने से सम्बन्धित वर्तमान में कोई दस्तावेज (रिकार्ड) उपलब्ध नहीं है। विपक्षी संख्या 1 द्वारा सूचना के अधिकार के तहत ग्राम पंचायत बहरावण्डाखुर्द के द्वारा वर्ष 1964 में किन–किन व्यक्तियों को पटटे जारी किये गये की नकल चाहे जाने पर ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत बहरावण्डाखुर्द ने पत्रांक 148 दिनांक 27.02.2023 द्वारा अवगत कराया है कि ग्राम पंचायत बहरावण्डा खुर्द में वर्ष 1964 में किन–किन व्यक्तियों को जारी किये गये पटटे से संबंधित ग्राम पंचायत बहरावण्डा खुर्द में कोई भी पत्रावली उपलब्ध नहीं है। ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत बहरावण्डाखुर्द द्वारा दिनांक 29.03.2023 को न्यायालय हाजा में उपस्थित होकर प्रकरण की मूल पटटा पत्रावली निर्णय दिनांक 11.10.1964 ग्राम पंचायत के अभिलेख में उपलब्ध नहीं होने का शपथ पत्र पेश किया है। ऐसी स्थिति में प्रकरण में मूल पट्टे एवं ग्राम पंचायत की पत्रावली की तलबी के बिना निर्णय किया जाना संभव नहीं है। अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा विवादित भू–भाग के संबंध में निगरानीकर्ता द्वारा प्राप्त डिक्री को निरस्त करवाने का दावा व टी0आई0 न्यायालय सिविल न्यायाधीश खण्डार में पेश करने पर न्यायालय खण्डार द्वारा प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा आंशिक रूप से स्वीकार कर दोनो पक्षों को ताफैसला मूल वाद प्रार्थना पत्र मौके की वर्तमान स्थिति को यथावत बनाये रखेंगे तथा कोई बेचान–अंतरण आदि नहीं करेंगे। ऐसी स्थिति में सिविल न्यायालय में विवादित भू–भाग के संबंध में वाद वर्तमान में विचाराधीन होने के कारण भी विवादित भू–भाग के संबंध में प्रस्तुत निगरानी पर निर्णय लिया जाना उचित नहीं है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी को आगे चलाया जाना उचित नहीं समझता हूं।

अतः निगरानीकर्त्ता द्वारा प्रस्तुत निगरानी खारिज की जाती है तथा विकास अधिकारी पंचायत समिति खण्डार को निर्देशित किया जाता है कि उक्त प्रकरण में विवादित स्थल/पटटे के संबंध में पुनः नये सिरे से जांच की जावे तथा यदि उक्त विवादित स्थल का अप्रार्थी को अवैधानिक तरीके से पटटा जारी किया जाना अथवा अप्रार्थी द्वारा कूटरचित तरीके से पटटा प्राप्त करना पाया जाता है तो इस संबंध में इस न्यायालय में सम्पूर्ण तथ्यों के साथ निगरानी प्रस्तुत करने हेतु स्वतंत्र है। विकास अधिकारी को यह भी हिदायत दी जाती है कि तत्समय के मूल रिकार्ड की गहनता से तलाश करें और यदि फिर भी मूल रिकार्ड उपलब्ध नहीं होता है तो मूल रिकार्ड को खुर्द–बुर्द करने में जिस किसी कार्मिक का दोष स्पष्ट होता है तो संबंधित दोषी कार्मिकों के विरूद्ध अपने स्तर पर कार्रवाई करें।

निर्णय आज दिनांक 26.07.2023 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(डॉ0सूरज सिंह नेगी)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,
सवाईमाधोपुर